



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1718-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                  | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                    | 4                                       | 5                  |
| 1        | वैष्णो कुमार सिंह/<br>11005901/गाजीपुर/30.04.2046               | विद्युत वितरण खण्ड, राठ<br>अन्तर्गत दक्षिणांचल<br>वि०वि०नि०लि०, आगरा | पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०,<br>वाराणसी      | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

**संख्या :1718-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, राठ।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**

(उमेश सिंह यादव)

अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1719-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                           | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                             | 4                                       | 5                     |
| 1        | महक सिंह/17702419/<br>गाजियाबाद/30.04.2038                      | विद्युत परीक्षण खण्ड,<br>कुशीनगर अन्तर्गत पूर्वान्वल<br>वि०वि०नि०लि०, वाराणसी | पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०,<br>मेरठ        | स्वयं के अनुरोध<br>पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

संख्या :1719-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनोक्त

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्वल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, कुशीनगर।
- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**

(उमेश सिंह यादव)

अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
 कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1720-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                            | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य               |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1      | 2                                                               | 3                                                                              | 4                                       | 5                     |
| 1      | आशीष सिंह/16901219/<br>बलिया/28.02.2058                         | विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ,<br>अलीगढ़ अन्तर्गत दक्षिणांचल<br>वि०वि०नि०लि०, आगरा | पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०,<br>मेरठ        | स्वयं के अनुरोध<br>पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

संख्या :1720-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, अलीगढ़।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**  
 (उमेश सिंह यादव)  
 अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
 कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1721-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                          | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                            | 4                                       | 5                     |
| 1        | निहाल सिंह /11003567/<br>हाथरस/31.12.2036                       | विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,<br>बड़ौत अन्तर्गत पश्चिमांचल<br>वि०वि०नि०लि०, मेरठ | दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०,<br>आगरा        | स्वयं के अनुरोध<br>पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

**संख्या :1721-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, बड़ौत।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**  
 (उमेश सिंह यादव)  
 अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
 कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**30 प्रो पावर कारपोरेशन लि०**  
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1722-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                               | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                                 | 4                                       | 5                  |
| 1        | मंगल कुमार सिंह /17505033/<br>सुल्तानपुर/30.09.2027             | विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,<br>फतेहपुर अन्तर्गत पूर्वान्चल<br>वि०वि०नि०लि०, वाराणसी | केस्को, कानपुर                          | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**

**उ०प्र०पा०का०लि०**

संख्या :1722-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनोंक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, फतेहपुर।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**  
(उमेश सिंह यादव)

अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1723-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                          | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                            | 4                                       | 5                  |
| 1        | आदित्य पाण्डे/11006434/<br>गाजीपुर/31.08.2055                   | विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ,<br>मेरठ अन्तर्गत पश्चिमांचल<br>वि०वि०नि०लि०, मेरठ | पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०,<br>वाराणसी      | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

**संख्या :1723-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-चतुर्थ, मेरठ।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**  
 (उमेश सिंह यादव)  
 अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
 कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1724-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                              | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                                | 4                                       | 5                  |
| 1        | अतुल राय /11006865/<br>संत कबीर नगर/30.11.2055                  | विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय,<br>मुरादाबाद अन्तर्गत पश्चिमांचल<br>वि०वि०नि०लि०, मेरठ | पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०,<br>वाराणसी      | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**

**उ०प्र०पा०का०लि०**

**संख्या :1724-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, मुरादाबाद।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**

(उमेश सिंह यादव)

अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)

कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1725-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                          | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                            | 4                                       | 5                  |
| 1        | रवीन्द्र कुमार /17402312/<br>शाहजहांपुर/31.07.2047              | विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,<br>मवाना अन्तर्गत पश्चिमांचल<br>वि०वि०नि०लि०, मेरठ | मध्यांचल वि०वि०नि०लि०,<br>लखनऊ          | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता-को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

**संख्या :1725-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनोंक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
- अधिशारी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, मवाना।
- अधिशारी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**  
 (उमेश सिंह यादव)  
 अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
 कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1726-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                             | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                               | 4                                       | 5                  |
| 1        | प्रवीन कुमार/17700386/<br>गाजियाबाद/31.03.2043                  | विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड,<br>अलीगढ़ अन्तर्गत दक्षिणांचल<br>वि०वि०नि०लि०, आगरा | पश्चिमांचल<br>वि०वि०नि०लि०, मेरठ        | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

संख्या :1726-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत नगरीय परीक्षण खण्ड, अलीगढ़।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

30/06/2024  
 (उमेश सिंह यादव)  
 अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
 कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1727-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                               | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                                 | 4                                       | 5                  |
| 1        | नवीन कुमार श्रीवास्तव/17402253/<br>लखीमपुर खीरी/31.07.2041      | विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम,<br>चन्दौली अन्तर्गत पूर्वान्चल<br>वि०वि०नि०लि०, वाराणसी | उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ                   | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

संख्या :1727-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, चन्दौली।
- अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**  
(उमेश सिंह यादव)  
अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)





कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1728-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क्र० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                      | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य               |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                               | 3                                                                        | 4                                       | 5                     |
| 1        | सुधीर कुमार पटेल/11005402/<br>वाराणसी/31.07.2053                | विद्युत वितरण खण्ड, गोवर्धन<br>अन्तर्गत दक्षिणांचल<br>वि०वि०नि०लि०, आगरा | पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०,<br>वाराणसी      | स्वयं के अनुरोध<br>पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**

**उ०प्र०पा०का०लि०**

**संख्या :1728-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024/तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-गोवर्धन।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

*30/06/2024*

(उमेश सिंह यादव)

अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)

कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)  
**उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०**  
 (उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER CORPORATION LIMITED**  
 (Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।  
 CIN : U32201UP1999SGC024928

पत्रांक-1729-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024

दिनांक: 30/06/2024

**कार्यालय ज्ञाप**

एतद्वारा अधोलिखित अवर अभियन्ता को स्तम्भ-3 में अंकित उनके वर्तमान तैनाती इकाई से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में लिखित डिस्कॉम को आवंटित किया जाता है:-

| क० सं० | अवर अभियन्ता का नाम/<br>/सैप आईडी/गृह<br>जनपद/सेवानिवृत्ति तिथि | वर्तमान तैनाती इकाई                                                            | स्थानान्तरण के पश्चात<br>आवंटित डिस्कॉम | मन्तव्य            |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                               | 3                                                                              | 4                                       | 5                  |
| 1      | अरुण शर्मा /17701060/<br>गाजियाबाद/31.08.2042                   | विद्युत परीक्षण<br>खण्ड-चन्दौली अन्तर्गत<br>पूर्वांचल वि०वि०नि०लि०,<br>वाराणसी | पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०,<br>मेरठ        | स्वयं के अनुरोध पर |

- उक्त तैनाती आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या-79/1997 में दिये गये अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
- स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर 9(1) में निहित प्राविधानानुसार इकाई प्रमुख/नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था से तत्काल कार्यमुक्त कर उनके कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन(06)/पाकालि/2001, दिनांक-11/06/2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण नियमानुसार सुनिश्चित करेंगे।
- सम्बन्धित इकाई प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वे अपने स्तर से कारपोरेशन में विद्यमान स्थानान्तरण नीति के प्राविधानानुसार अवर अभियन्ता की तैनाती करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरण संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया का सम्पादन ई०आर०पी०/सैप के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जाए।
- स्वयं का अनुरोध होने के कारण उपरोक्त अवर अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा।
- यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में कार्यालय ज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

**प्रबन्ध निदेशक**  
**उ०प्र०पा०का०लि०**

**संख्या :1729-अनु०-2/सी०ई०एच०/2024 /तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी।
- प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड-चन्दौली।
- अधिशाली अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सम्बन्धित पदधारी/कट फाइल।

**30/06/2024**

(उमेश सिंह यादव)  
 अधि०अभि० एवं वैय० सहा० (षष्ठम)  
 कृते मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)